MAP SANC...

हमारा यही प्रयास | सबका अपना आव

ISO 9001:2000 प्रमाणित

कार्यालय वास्तुविद नियोजक एवं विशेषकार्याधिकारी
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–प्रथम,
स्थित :– वसुन्धरा आफिस काम्पलेक्स सेक्टर–16, गाजियाबाद।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अर्न्तगत भवन बनाने हेतु अनुज्ञा :

स्वीकृति–पत्र

संख्या : 278 / नि0प्रा0–05/2010–11/वा0नि0–6 दिनांक : 19/4/2011

सेवा में,

श्री रमेश कुमार प्रसाद एवं
मैसर्स के0एस0एन0बिल्डवेल प्रा0लि0
पता–170, प्रीत विहार,दिल्ली–110092

विषयः व्यवसायिक भूखंड संख्या–16/काम0–1,वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के मानचित्र स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में दिनांक 28.3.2011 को 15 मी0 से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिले/ग्रुप हाउसिंग भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें आपके प्रकरण पर विचार विमर्श हुआ। समिति द्वारा विचारोपरान्त आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को कतिपय शर्तों सहित स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि भूखंड के विरूद्ध अद्यावधिक भुगतान के सम्बंध मे मुख्य वास्तुविद नियोजक का पत्रांक 508/गाजि0/सी.ए.पी./2011 दिनांक 31.3.2011 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें निम्न शर्तों के आधार पर मानचित्र निर्गन करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

1. बैंक से ऋण प्राप्त होने पर पहले किश्तों का भुगतान किये जाने की पुष्टि उप आवास आयुक्त–सम्पत्ति प्रबंध,मेरठ/गाजियाबाद से की जायेगी।
2. किश्तों का भुगतान परिषद को प्राप्त होने के उपरान्त ही विकासकर्ता स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे।

अतः आपके व्यवसायिक भूखंड संख्या–16/काम0–1,वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में 1.20 एफ0ए0आर0 के आधार पर भूतल पर व्यवसायिक एवं अनुवर्ती 08 तलों पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण करने सम्बंधी आपके आवेदन के कम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

उपरोक्त 02 नग शर्तों के साथ ही निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा :–

3. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 19.4.11 से 18.4.2016 तक।
5. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
6. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–प्रथम, उ0प्र0 आवास विकास परिषद,गाजियाबाद को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
7. यह स्वीकृति Lower Basement+ Upper Basement + Ground + 8 तलों हेतु प्रदान की जा रही है।
8. रजिस्ट्री के समय मानचित्र में प्रस्तावित किसी भी फ्लैट का सब–डिवीजन अनुमन्य नहीं होगा तथा वर्तमान मानचित्र में भूतल पर व्यवसायिक एवं अनुवर्ती 08 तलों पर कुल 96 नग फ्लैट्स का निर्माण स्वीकृत किया जा रहा है।
9. प्रथम चरण में यह स्वीकृति केवल ग्राउण्ड के ऊपर एक तल तक के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है ग्राउण्ड के ऊपर एक तल की छत पड़ने के पश्चात स्थल से यह पुष्टि हो जाने पर कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया गया है शेष निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
10. यह स्वीकृति 6859.23 व0मी0 क्षेत्रफल के भूखंड में प्रदान की गयी है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।

क्रमशः/2 पर

11. भूखंड में अनुमन्य आवंटी तथा केतागण अपने वाहन को भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनु निर्धारित पार्किंग स्थल में खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों / भूखंडों का मार्ग / आवागमन अव न हो।यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
12. Visitors Parking का प्राविधान भूखंड बाउण्ड्री के बाहर न करके भूखंड परिसर के अन्दर ही सुनिश्चि करना होगा।
13. भूखंड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
14. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि व्यवसायिक / ग्रुप हाउसिंग भवनों में हो कियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस कियाकलाप रोकने / हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
17. समय समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे।
18. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
19. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आ द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
20. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों / शर्तों का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी हैं।
21. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन–सामान्य द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
22. मुख्य अग्निशमन अधिकारी,गाजियाबाद के पत्रांक फा0स0–34 / 2011 दिनांक 15.4.2011 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उसके साथ संलग्न मानचित्रों में अंकित अग्निशमन व्यवस्था का प्रावि सुनिश्चित करना होगा तथा निर्माण के उपरान्त एवं भवन के उपयोग से पूर्व स्थायी अना प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
23. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (16 नग शीट्स)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (06 नग शीट्स)।
3. स्ट्रक्चरल गणनाओं का एक सैट (104 नग पृष्ठ)।
4. अग्निशमन प्राविधानों को दर्शाते हुए मुख्य अग्निशमन – अधिकारी गाजि0 से अनुमोदित मानचित्र(12 नग शीट्स)।

19/4/2011

(मुमताज हुसैन)
वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिक

पृ0सं0: / उक्त / दिनांकः

प्रतिलिपिः1. अधीक्षण अभियन्ता,सप्तम वृत्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1,उ0प्र0 आवास विकास परिषद,वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी,गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र का एक सैट व प्रपत्र–'च' सहित संलग्न प्रेषि
4. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

वास्तुविद नियोजक / विशेष कार्याधिक